न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी :- श्री राजेन्द्र कुमार RAS

अनुवान देशराज सिंह बनाम मनोहरसिंह आदि

वाद संख्या 204 वर्ष 2023

निर्णय दिनांकः— 28.01.2025

1. देशराज सिंह पुत्र मनोहरसिंह जाति राजपूत निवासी सारायण तहसील तारानगर जिला चूरू

— वादी —

बनाम

1. मनोहरसिंह पुत्र लूणसिंह जाति राजपूत निवासी सारायण तहसील तारानगर जिला चूरू
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तारानगर जिला चूरू
3. मैनेजर बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा रैयाटुण्डा तहसील तारानगर जिला चूरू

— प्रतिवादीगण —

दावा घोषणात्मक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कारश्तकारी अधिनियम धारा 5 उपनिवेशन अधिनियम

उपस्थिति :—

1. **श्री केदारमल स्वामी एडवोकेट वास्ते वादी**
2. **श्री योगेश स्वामी एडवोकेट वास्ते प्रतिवादी संख्या 1**
3. **राजपैरोकार प्रतिवादी संख्या 2**

-: निर्णय :-

वादी द्वारा प्रस्तुत की दावा का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 01 के नाम खेत ख.नं. 212 तादादी 4.7925 हैक्टयर, ख.नं. 215 तादादी 1.2013 हैक्टयर, ख.नं. 571/301 तादादी 1.9094 हैक्टयर कुल तादादी 7.9032 हैक्टर रोही मौजा सारायण तहसील तारानगर जिला चूरू में वाके है। एक अन्य संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि ख.नं. 372/212 तादादी 4.1855 हैक्टयर, ख.नं. 569/301 तादादी 8.7630 हैक्टयर कुल तादादी 12.9485 हैक्टर रोही मौजा सारायण तहसील तारानगर में प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त खातेदारी में 5/18 हिस्से का खातेदार हैं। यही विवादित कृषिभूमि है। विवादित कृषि भूमि पैतृक सम्पति है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 हिन्दू है जो मिताक्षरा विधि से शासित होते हैं। एक हिन्दू का जन्म से (By Birth) सम्पति में अधिकार होता है। इसी कारण वादी का उक्त सम्पति में जन्म से अधिकार हैं।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने आपस में पारिवारिक बंटवारा कर रखा है। बंटवारा के मुताबिक कृषि भूमि ख.नं. 212 तादादी 4.7925 हैक्टयर, ख.नं. 215 तादादी 1.2013 हैक्टयर, ख.नं. 571/301 तादादी 1.9094 हैक्टयर कुल तादादी 7.9032 हैक्टर वादी के हक व हिस्से में हैं एवं ख.नं. 372/212 तादादी 4.1855 हैक्टयर, ख.नं. 569/301 तादादी 8.7630 हैक्टयर रोही मौजा सारायण में 5/18 हिस्सा प्रतिवादी के हक व हिस्से में आई हुई हैं। पारिवारिक बंटवारानामा के मुताबिक कब्जे काश्त में चली आ रही हैं। विवादित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी में चल रही है। इस कारण वादी के अधिकारों पर विपरित असर पड़ रहा हैं। इसी कारण वादी अपने हक घोषित कराकर अपने नाम खातेदारी कराने का अधिकारी है। इसी कारण वादी को यह घोषणात्मक वाद प्रस्तुत करना पड़ रहा हैं।

Rajendra
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर चूरू

प्रतिवादी संख्या 1 को कई बार कहा व कहलवाया कि कृषि भूमि वादी के नाम खातेदारी में दर्ज करवा देवें। प्रतिवादी कुछ दिन तो टाल मटोल करता रहा आखित दिनांक 06.10.2023 को ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये। लिहाजा यही तारीख बिनाय मुखास्मत वाद हैं। आदि आदि

इस प्रकार वादी ने वाद पेश कर कृषिभूमि ख.नं. 212 तादादी 4.7925 हैक्टयर, ख.नं. 215 तादादी 1.2013 हैक्टयर, ख.नं. 571/301 तादादी 1.9094 हैक्टयर कुल तादादी 7.9032 हैक्टर रोही मौजा सारायण तहसील तारानगर की खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 का वकालतनामा श्री योगेश स्वामी एडवोकेट ने पेश किया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ने वादी के साथ न्यायालय में उपस्थित आकर राजीनामा पेश किया। उभयपक्ष द्वारा राजीनामा सही होना स्वीकार करने पर तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। राजपैरोकार ने जाहिर किया कि प्रकरण में राज्यहित निहित नहीं हैं। वाद का कोई खण्डन पेश नहीं होने से तनकी कायम नहीं की गई।

साक्ष्य वादी में वादी द्वारा निम्न मौखिक एवं लिखित साक्ष्य पेश किये गये।

1. प्रदर्श EX- 1 नकल जमाबंदी खसरा नं 372/212, 569/301 ग्राम सारायण।
2. प्रदर्श EX- 2 नकल जमाबंदी खसरा नं 212, 215, 571/301 ग्राम सारायण।
3. प्रदर्श EX- 3 नकल नामांतरण संख्या 252 ग्राम सारायण।
4. ब्यान गवाह देशराज सिंह PW-1

बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिया कि विवादित सम्पति पूर्वजों से प्राप्त हुई है। प्रतिवादी संख्या 01 कर्ता खानदान है। अकेले के नाम विरास्तन दर्ज हो गयी। वादी पुत्र है। पक्षकारान हिन्दू धर्म के है। एक हिन्दू का पैत्रिक सम्पति में हिस्सा (By Birth) होता है। प्रकरण में राजीनामा हो गया है। राजीनामा में वादी का हक हिस्सा स्वीकार किया गया है। दावा डिक्री किया जावें। वकील प्रतिवादी संख्या 1 ने वकील वादी की बहस का समर्थन किया।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिखित प्रदर्श EX-1 ता EX-3 से विवादित भूमि वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक होना प्रमाणित हैं। सम्पति पैत्रिक होने से उक्त दोनो का अधिकार जन्म से है। प्रतिवादी संख्या 1 ने राजीनामा से दावा स्वीकार किया हैं। वाद का अन्य कोई खण्डन पेश नहीं हुआ हैं। वाद वादी बरूये राजीनामा पुष्ट एवं प्रमाणिक पाया जाता हैं। अतः वाद बरूये राजीनामा डिक्री किया जाना न्यायोचित हैं।

-: आदेश :-

वाद वादी बरूये राजीनामा डिक्री किया जाता हैं तथा घोषित किया जाता है कि वादी देशराज सिंह पुत्र मनोहरसिंह जाति राजपूत निवासी सारायण तहसील तारानगर के विवादित कृषि भूमि ख.नं. 212 तादादी 4.7925 हैक्टयर, ख.नं. 215 तादादी 1.2013 हैक्टयर एवं ख.नं. 571/301 तादादी 1.9094 हैक्टयर कुल तादादी 7.9032 हैक्टर रोही मौजा सारायण तहसील तारानगर जिला चूरू का एकमात्र खातेदार एवं काबिज काश्तकार है। इसमें प्रतिवादी संख्या 01 का कोई हक हिस्सा नहीं रहेगा। कृषिभूमि ख.नं. 372/212 तादादी 4.1855 हैक्टयर, ख.नं. 569/301 तादादी 8.7630 हैक्टयर कुल तादादी 12.9485 हैक्टर रोही सारायण का 5/18 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 01 की खातेदारी में यथावत रहेगी। तहसीलदार तारानगर को आदेश है कि वह विवादित कृषि

Jayendra
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर चूरू

भूमि ख.नं. 212 तादादी 4.7925 हैक्टयर, ख.नं. 215 तादादी 1.2013 हैक्टयर एवं ख.नं. 571/301 तादादी 1.9094 हैक्टयर कुल तादादी 7.9032 हैक्टर रोही सारायण कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी संख्या 1 मनोहरसिंह पुत्र लूणसिंह का नाम कलमजन कर इसकी खातेदारी वादी के नाम दर्ज करें। प्रस्तुत राजीनामा निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हों।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 28.01.2025 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनवाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)